

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक- 6-9-2020

**विषय :-** विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या-3062 दिनांक-06.03.2019 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था।

वर्तमान में कतिपय पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति अथवा अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हो गया है। अतः पूर्व के एतद् संबंधी आदेशों को विलोपित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी का नाम जो स्तम्भ-2 में वर्णित पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे।	आवंटित विभाग
1.	श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना। मो०-9470488496	श्रीमती ऋचा कमल, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना। मो०-7070523115	1. गृह विभाग। 2. सामान्य प्रशासन विभाग। 3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 4. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। 5. आपदा प्रबंधन विभाग। 6. विधि विभाग। 7. परिवहन विभाग।
2.	श्री रमेश कुमार, संयुक्त सचिव, योजना पर्षद, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। 3. संसदीय कार्य विभाग। 4. खान एवं भूतत्व विभाग। 5. वित्त विभाग। 6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग।
3.	श्री गौतम पासवान, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना। दूरभाष-0612-2215231	श्री शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।	1. ग्रामीण कार्य विभाग। 2. जल संसाधन विभाग। 3. लघु जल संसाधन विभाग। 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 5. भवन निर्माण विभाग। 6. पथ निर्माण विभाग।
4.	श्री सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह- अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	श्री जवाहर प्रसाद, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।	1. योजना एवं विकास विभाग। 2. ग्रामीण विकास विभाग। 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। 4. सूचना प्रावैधिकी विभाग। 5. उद्योग विभाग। 6. नगर विकास एवं आवास विभाग। 7. पंचायती राज विभाग।

5.	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्रशासन) —सह—अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना। मो०—8544401032	श्री सुशांत कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना।	1. पर्यटन विभाग। 2. गन्ना उद्योग विभाग। 3. पर्यावरण एवं वन विभाग। 4. सहकारिता विभाग। 5. कृषि विभाग। 6. पशु एवं मत्स्य संसाधन। 7. उर्जा विभाग।
6.	श्री योगेन्द्र राम, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।	श्री बीरेन्द्र कुमार पासवान, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग। 3. शिक्षा विभाग। 4. श्रम संसाधन विभाग। 5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 6. वाणिज्य—कर विभाग।
7.	श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकवंदी (मु०), पटना। मो०—9386648184	श्री हीरामुनी प्रभाकर, उप महाप्रबंधक (प्रशासन) मुख्यालय, राज्य खाद्य निगम, पटना।	1. निगरानी विभाग। 2. निर्वाचन विभाग। 3. समाज कल्याण विभाग। 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। 5. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

मनोनीत सदस्यों को आबंटित विभागों के विरुद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है। विषयांकित कार्य हेतु लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय एवं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित बैठकों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना हेतु मनोनीत पदाधिकारी भाग लेंगे।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ वांछित अभिलेख एक सप्ताहांतर्गत निश्चित रूप से संबंधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

सामान्य तौर पर मनोनीत पदाधिकारी का सचिवालय स्थित किसी अन्य विभाग/निदेशालय/आयोग/प्राधिकार में स्थानांतरण/प्रोन्नति हो जाने पर भी यह मनोनयन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मनोनीत सदस्य आरक्षण अधिनियम-3, 1992 के निहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्प/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे। साथ ही आबंटित विभागों के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर गठित किसी अन्य समिति की बैठक में भी भाग लेने हेतु प्राधिकृत होंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 5/2/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापंक—11/आ०नी०—11—01/2011 सा०प्र०.....1869.....पटना—15, दिनांक—.....6-2-2020.....  
प्रतिलिपि—सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 5/2/2020  
सरकार के अपर सचिव।